



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 89 स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2018

दिनांक: 5 फरवरी, 2018

प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम
मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा।
केस्को-कानपुर।

विषय :- माह फरवरी एवं मार्च, 2018 में बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली।

जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि समस्त डिस्काम में बड़ी तादात में बड़े बकायेदारों के पास भारी मात्रा में राजस्व अवरुद्ध है, जिसकी वसूली में कारपोरेशन के समस्त स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिभागिता आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा कारपोरेशन की अवरुद्ध राजस्व राशि की वसूली में खण्ड के सहयोग तथा सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. प्रत्येक डिस्काम मुख्यालय में पदस्थ प्रबन्ध निदेशक से लेकर अधिशाषी अभियन्ता स्तर तक के समस्त अधिकारियों को बकाये की राशि के घटते क्रम में माह फरवरी व मार्च, 2018 के लिये दस-दस यानि कुल बीस बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची दी जायेगी जिसका Liquidation किया जाना यथा वसूली अथवा यदि आवश्यक हो तो बिल करेक्शन कराकर वसूली उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
2. उपरोक्तानुसार ही क्षेत्र एवं मण्डल कार्यालय पर पदस्थ अधिशाषी अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों एवं क्षेत्र एवं मण्डल कार्यालय से सम्बद्ध कार्यालयों के अधिशाषी अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों को उस क्षेत्र के बीस-बीस बकायेदारों की सूची बकाये के घटते क्रम में वसूली हेतु सौंपी जायेगी।
3. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर के अलावा अन्य अधिकारियों को दी जाने वाली सूची यथासंभव एक ही जनपद की हो।
4. उपरोक्त समस्त वितरित की गयी सूचियों की अधिकारीवार सूचना संलग्न प्रारूप पर ई-मेल के माध्यम से (backofficeuppcl@gmail.com) अध्यक्ष के बैंक आफिस, कारपोरेशन मुख्यालय में अनुश्रवण हेतु दिनांक 19.02.2018 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अधिकारियों को अपनी सूची पर कृत कार्यवाही की विस्तृत साप्ताहिक रिपोर्ट डिस्काम मुख्यालय के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करनी होगी।
6. समस्त अधिकारियों द्वारा अपनी सूची पर कार्यवाही इस प्रकार से की जानी है कि खण्ड के दैनिक काम-काज पर न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न हो।
7. प्रत्येक डिस्काम स्तर पर निदेशक (वाणिज्य) इसके नोडल अधिकारी होंगे एवं कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियन्ता, (वाणिज्य), उ0प्र0पाकालि0 इसके नोडल अधिकारी होंगे। कारपोरेशन स्तर से भी उपरोक्त सूचियों का अनुश्रवण किया जयेगा जिसकी साप्ताहिक मानीटरिंग अध्यक्ष महोदय/अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि।

(अपर्णा यू0)

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0।
3. समस्त निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ0प्र0पाकालि0।

BIG DEFAULTER LIQUIDATION SCHEME - 2018

[illegible]